मैनेज की दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का

सत्रहवाँ बैच

कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)

2023 - 2024

"सरकारी विस्तार व्यवस्था में व्यावसायिकता का विकास"

MANAGE
मैनेज

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत

www.manage.gov.in

संस्थान के बारे में:

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में तेजी से बढ़ती हुई कृषि क्षेत्र की भिन्नताओं में कृषि विस्तार की चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रुप में हुई है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा कार्मिकों के कौशलीय प्रशिक्षण द्वारा वर्तमान ढ़ांचे में परिवर्तन लाने के लिए प्रभावशाली विस्तार व्यवस्था प्रबंधन के तरीकों की आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैनेज की स्थापना की गयी है।

अपने अधिदेश देश के अनुसारमैनेज, प्रशिक्षण, प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श सेवा एवं सूचना संसाधन के क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (एन एम ए ई टी) के कृषि विस्तार का उप मिशन (एस एम ए ई) के तहत आने वाला "विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यव्रत्र्मों का समर्थन" की केंद्र प्रायोजित परियोजना के कार्यान्वयन में मैनेज अपना योगदान प्रदान कर रहा है । यह कार्यक्रम 31 राज्यों व 5 संघ क्षेत्रों के 700 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)

भारत में लगभग एक लाख सार्वजनिक विस्तार कर्मी उपलब्ध है। सार्वजनिक और निजी विस्तार प्रणाली के विस्तार कर्मी भारतीय कृषि में गंभीर चिंताओं जैसे छोटी जोत वाले किसानों का बड़ा प्रतिशत, भारी उपज अंतर, इनपुट के उपयोग में असमानता और प्राकृतिक संसाधनों की गिरावट को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विस्तार वितरण प्रणाली में उनकी प्रभावशीलता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित और सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक और निजी विस्तार कर्मियों की सर्वोपरि महत्व केा पहचानते हुए, मैनेज ने 2007 के दौरान दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक वर्षीय कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएईएम) को केंद्र स्तर पर प्रायोजित ''विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रम समर्थन'' के तहत प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम को आरंभ करके पंद्रह साल पूरे हुए है, 15वां बैच चालू है।

पिछले सालों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से 22,000 आवेदकों से अधिक पी जी डी ए ई एम कार्यक्रम में पंजीकृत हुए है। पी जी डी ए ई एम कृषि विस्तार कर्मियों के सुदृढ़ीकरण में यह एक अनोखाकार्यक्रम होने के नाते वर्तमान समय में इसके प्रति रुझान बढ़ती जा रही है।
वर्ष 2007 में इस कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर वित्त वर्ष 2014-15 तक भारत सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2015-16 से राज्यों को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए व एफडब्ल्यू), भारत सरकार से विस्तार सुधार योजना के तहत 60%, 90%, और 100% क्रमश: सामान्य राज्यों, उत्तर पूर्वी एवं तीन हिमालय के पहाड़ी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में दिया जा रहा है।

बाकि राशी का (मैचिंग शेयर) 40%, 10%, क्रमश: सामान्य राज्यों और उत्तर पूर्वी व तीन हिमालय के पहाड़ी राज्यों के राज्य सरकारों द्वारा योगदान दिया जाता है।
कार्यक्रम के अंत में, मैनेज पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद उम्मीदवारों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 बैच तक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर प्रोत्साहित भी कर रहा है।

विस्तार कार्यकर्ता के रूप में, पीजीडीएईएम ने पूर्ण ज्ञान के साथ किसानों तक
टीओटी का प्रसार करने में मेरी बहुत मदद की।
- सुश्री एस. प्रियंका, स्वर्ण पदक विजेता, 15वां बैच पीजीडीएईएम

पी जी डी ए ई एम कार्यक्रम के उद्देश्य:

विस्तार कर्मियों की तकनीकी-प्रबंधकीय दक्षताओं में वृद्धि करना

विस्तार कर्मियों को कृषि क्षेत्र के नवीन कार्यों से अवगत कराना

विस्तार कर्मियों को भागीदारी निर्णायन हेतु नवीन उपकरणों तकनीकों संबंधी ज्ञान प्रदान करना

कृषि मूल्य-श्रृंखला में दक्ष बनाने के लिए विभिन्न विस्तार मॉडलों में गहराई विकसित करना

पाठ्यक्रम की रुपरेखा और विषय-वस्तु

पाठ्यक्रम के 30 क्रेडिट होंगे और दो अर्धवार्षिकों में प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक सेमिस्टर के 15 क्रेडिट होंगे। एक क्रेडिट 30अध्ययन घण्टों के समान है। प्रथम अर्धवार्षिकी में पांच पाठ्यक्रम होंगे जिनमें से प्रत्येक का एक कोर्स तथा एक एसाईनमेंट होगा। द्वितीय अर्धवार्षिकी में चार पाठ्यक्रम होंगे जिसमें प्रत्येक का एक कोर्स और एक एसाईनमेंट सहित एक परियोजना कार्य भी होगा। पाठ्यक्रम, मुद्रित पठन सामग्री, लेक्चर सीरीज-सह संपर्क कक्षा एवंई-लर्निंग रिसोर्सेस मैनेज वेबसाईट से युक्त है। लेक्चर सीरीज-सह संपर्क कक्षाएं प्रत्येक अर्धवार्षिकी में पॉच दिनों के लिए समेति (SAMETI) या सम्बद्ध राज्य के किसी चुनी गई संस्था पर परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ दिन पहले आयोजित की जाएगी।

सत्र । व ॥हेतु पाठ्यक्रमों की रुपरेखा

सत्र – ।

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
एईएम 101:	कृषि विस्तार का परिचय	(3 क्रेडिट)
एईएम 102:	विकास हेतु सुगमता	(2 क्रेडिट)
एईएम 103:	विस्तार हेतु संचार	(4 क्रेडिट)
एईएम 104:	कृषि विकास हेतु महिलाओं को मुख्यधारा में लाना	(3 क्रेडिट)
एईएम 105:	नेतृत्व एवं प्रबंध कौशल	(3 क्रेडिट)

सत्र –॥

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
एईएम 201:	ग्रामीण समाजशास्त्र	(2 क्रेडिट)
एईएम 202:	कृषि व्यापार प्रबंध	(4 क्रेडिट)
एईएम 203:	कृषि प्रबंधन हेतु नियोजन	(3 क्रेडिट)
एईएम 204:	सतत कृषि विकास हेतु विस्तार	(3क्रेडिट)
एईएम 205:	परियोजना कार्य	(3क्रेडिट)

सामान्य सूचनाः

योग्यता मापदन्ड: विस्तार कर्मी जिन्होने कृषि व तत्संबंधी क्षेत्रों जैसे बागवानी, पशु पालन, मत्स्यपालन आदि, में स्नातक हैं और केन्द्र/राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के सरकारों या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत है इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र है। सरकारी विस्तार कर्मियों को वरीयता दी जाएगी। आत्मा के ब्लॉक और सहायक तकनीकी प्रबन्धक (बीटीएम & एटीएम), केवीके के एसएमएस और कर्मचारी भी इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। उपरोक्त विभागों में सरकारी विस्तार पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कृषि, तत्संबंधी विषयों के स्नातक और कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओ, सहकारी किसान संगठन में कार्यरत स्नातक, कृषि-उद्यमी और इनपुट डीलर भी इस पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।

सरकारी कर्मियों के लिए प्रवेश और शुल्क:

चरण 1.

- सरकारी विभागों से संबंधित सभी उम्मीदवारों को **अपने आवेदन (जैसा कि ब्रोशर में संलग्न है) अपने तत्काल नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से अग्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।**
- पीजीडीएईएम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र संबंधित जिले के परियोजना निदेशक, एटीएमए को भेजे जाने चाहिए।
- निजी कंपनियों के निजी उम्मीदवारों को अपने संबंधित राज्यों के समेतियोंको आवेदन भेजना चाहिए।

सरकारी विभागों के आवेदकों को, पीजीडीएईएम में प्रवेश पाने हेतु अपने आवेदनों को अपने प्राधिकारियोंके पास उस जिले के परियोजना निदेशक, आत्मा को अंग्रेषित करने के निवेदन सहित प्रस्तुत करना होगा ।

चरण 2.आवेदनों की जाँच के पश्चात परियोजना निदेशक उन आवेदनों को सम्बद्ध राज्य के स्टेट नोडल अधिकारी (एसएनओ), विस्तार सुधार को भेजने के अनुरोध के साथ सम्बद्ध राज्य के निदेशक - समेति (SAMETI) को भेजेंगे।

चरण 3.निदेशक समेती सभी आवेदनों को संकलित कर अपने राज्य के राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ), विस्तार सुधार को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेंगे।

चरण 4.एसएनओ द्वारा अनुमोदित सभी आवेदनों को 17वीं (2023-24) पीजीडीएईएम बैच में प्रवेश के लिए मैनेज को भेजे जा सकते है।

फंड रिलीज पैटर्न:

इस कार्यक्रम के लिए, **60%, 90%, और 100% का पाठ्यक्रम शुल्क के लिए सामान्य राज्यों, उत्तर-पूर्वी व तीन हिमालय राज्य तथा केन्द्रशासित प्रांत क्रमशः** विस्तार सुधार योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। राज्य का मिलान क्षेत्र 40%, और 10%, क्रमशः सामान्य राज्यों, उत्तर पूर्वी व तीन हिमालय राज्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा समितियों (SAMETIs) को कॉन्टैक्ट कक्षाएं और परीक्षाओं के आयोजन के लिए दिया जाना है।

पीजीडीएईएमपाठ्यक्रमकेमाध्यमसे, मैंसीखसकाऔरहितधारकोंकेसाथअच्छेतरीकेसेऔरपेशेवरतरीकेसेसंवादकरनेऔरबातचीतकरनेकेलिएखुदकोतैयारकरसका।

- श्री जी. वेलमुरुगन, रजत पदक विजेता, पीजीएडीईएम 15वां बैच

निजी प्रत्याशियों के लिए प्रवेश और शुल्क:

कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओं, सहकारी संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों और कृषि-उद्यमियों, इनपुट डीलरों, प्रगतिशील किसान, निजी क्षेत्रों के कर्मचारी आदि, की श्रेणी में रहने वालों को पाठ्यक्रम शुल्क रु. 15,000/- एक किश्त में भुगतान करना होगा।राशी का भुगतान, मैनेज हैदराबाद पर देय, **डिमाण्ड ड्राफ्ट,ऑनलाइन या गूगल पे (स्क्रीनशॉट) का भुगतान अपने आवेदन के साथ सीधे मैनेज, हैदराबाद को भेजना होगा।**

खाता विवरण जिसमें शुल्क का भुगतान किया जा सकता है:

खाते का नाम: राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज)
बैंक का नाम: भारतीय स्टेट बैंक
खाता संख्या: 42004841992
IFSC कोड: SBIN0020074
MICR कोड:500002348

आवेदन सीधे मैनेज, हैदराबाद को भेजे जाने चाहिए।यावेबसाइटमें PGDAEM पेजपरमौजूदलिंककेमाध्यमसेभीआवेदनकरें:
https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/payment/listcategory.htm

मूल्यांकन:
आवेदक कालिखित परीक्षा व नियत कार्य (एसाईनमेंट) में उनके निष्पादन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा 70 अंकों का और एसाईनमेंट 30 अंकों का होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा तथा नियत कार्य दोनो को मिलाकर न्यूनतम **50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है साथ ही प्रोजेक्ट कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना होगा।**
80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों प्रथम श्रेणी के साथ डिस्टिंक्शन
70% से 79.9% अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी
60% से 69.9% अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को द्वितीय श्रेणी प्रदान की जाएगी
50% से 60% अंक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण

अतिरिक्त अवसर:2023-24के आवेदक जो परीक्षा में अंनुत्तीर्ण रहें उन्हें द्वितीय सेमिस्टर के अंत में सप्लिमेंटरी परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 2023-24 के आवेदक जो उसी साल में प्रीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं करते उन्हे केवल 2023-24 बैच के प्रथम एवं द्वितीय सेमिस्टर की प्रीक्षाओं के साथ पुनः बैठना होगा। **2024-25के उपरांत कोई और अवधि नहीं दी जाएगी।**

प्रथम और द्वितीय सेमिस्टर पी जी डी ए ईएम की सप्लिमेंटरी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए
(a) जो आवेदक **सप्लिमेंटरी परीक्षा** देना चाहता है उसे **शुल्क रु 200/- प्रति विषय देना होगा।**
(b) जो आवेदक किसी एसाईनमेंट को पुनः प्रस्तुत करना चाहते है या देर से प्रस्तुत करते है उसे **शुल्क रु 200/- प्रति एसाईनमेंट देना होगा।**
(c) **परियोजना कार्य पुनः** प्रस्तुत या देर से प्रस्तुत करने वाले आवेदक को **शुल्क रु. 200/- भरना होगा।**

नियत कार्य (एसाईनमेंट):
पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियत कार्य को प्रस्तुत करना (एसाईनमेंट) अनिवार्य है । नियत कार्य को प्रस्तुत नहीं करने पर उसे असंपूर्ण माना जाएगा । पाठ्यक्रम के अनुसार नियत कार्य विषयों को मैनेज वेबसाइट पर रखा गया है । प्रत्याशियों को सत्र समाप्ति परीक्षा में उपस्थित रहने के पूर्व नियत कार्य को प्रस्तुत करना होगा ।

परियोजना कार्य:
पाठ्यक्रम 205: परियोजना कार्य (3क्रेडिट) पूर्ण करना पीजीडीएईएम सपन्न करने के लिए अनिवार्य है। आवेदकों को एईएम कार्यक्रम 205 की सीमा में से ए,बी,सी वर्ग में किसी एक विषय को चुनना होगा (विषय एवं निर्देश सूत्र मैनेज वेबसाईट में देखे जा सकते है)। विषय अपने कार्य क्षेत्र में तथा किसानों के लिए उपयोगिता और अपनी रुचि अनुसार लिया जा सकता है।

ए,बी,सी, वर्गो में से चुने गए विषय को परियोजना कार्य के रुप में क्षेत्र क्रियाकलाप (fieldactivity) के लिए लेना होगा जिसे आवेदक को अपने अधिकार क्षेत्र मे क्रियान्वित कर किसानों/स्टेक होल्डरों के साथ क्षेत्र स्तर पर किए गए कार्य को उसकी किसानों की उपयोगिता सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय सत्र की परीक्षाओं से पहले परियोजना रिपोर्ट को जमा करवाना होगा। **परियोजना कार्य समाप्ति के बाद परियोजना रिपोर्ट के सार की सॉफ्ट कॉपी मैनेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**परियोजना कार्य रिपोर्ट हेतु 100 अंक निर्धारित है। परियोजना कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

पीजीडीएईएमअद्यतन और जानकारीपूर्ण था और इसने टीओटी के संदर्भ में आईटी और उद्यमिता विकास में मेरी समझ को बेहतर बनाने में भी मदद की।
-सुश्री एस.शालिनी, कांस्य पदक विजेता, पीजीडीएईएम 15वां बैच

परिणाम:

पाठ्यक्रम का अंतिम परिणाम मैनेज वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। मूल डिप्लोमा प्रमाणपत्रों को अंक तालिका के साथ सम्बंधित समेति को भेजा जाएगा।

यदि प्रत्याशी प्रमाण-पत्र खो देता है, तो उसे मैनेज, हैदराबाद के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट,ऑनलाइन या गूगल पे के माध्यम से रु 500/- के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।

वचन (अंडरटेकिंग):

पीजीडीएईएम के लिए पंजीकृत सरकारी विभाग के प्रत्याशियों को यह वचन देना होगा कि वें दो वर्षों की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे अन्यथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क अंर्थात, रु 15,000/- उनके वेतन से वसूल किया जाएगा। इस वचन को आवेदन पत्र के साथ मैनेज को प्रायोजित प्राधिकारी/विभाग द्वारा भेजना होगा। **पंजीकरण की वैधता सभी प्रत्याशियों हेतु केवल दो वर्षों के लिए होगी।**

नोट:

पंजीकरण के एक माह के पश्चात सरकारी कर्मियों के द्वारा पाठ्यक्रम से नाम वापसी के निवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी ऐसे निवेदनों को केवल आत्मा/समेती के माध्यम से भेजना होगा। सरकारी कर्मियों के आवेदनों को केवल उचित चैनल के माध्यम से भेजना होगा और मैनेज को सीधे भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्याशियों का अंतिम प्रवेश, के बारे में विशेषाधिकार महानिदेशक, मैनेज को ही होंगे।

शिक्षण माध्यम: अंग्रजी/ हिन्दी

आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि : **15-03-2024** है।

वेबसाइट: www.manage.gov.inपर निम्न हेतु प्रावधान है ।

1. प्रत्याशियों के प्रवेश पत्र और प्रवेश सूची (देखे और डाऊनलोड करें)
2. अंग्रेजी व हिन्दी में अध्ययन सामग्री विशेषज्ञों के द्वारा प्रत्येक विषय पर पूर्व रिकार्ड किये गये (वीडियो) लेक्चर उपलब्ध हैं। (देख और डाऊनलोड करें)
3. नियत कार्य के विषय और-परियोजना रिपोर्ट के विषय (देखे और डाऊनलोड करें)
4. संपर्क कक्षाए, एसाइनमेंट, परियोजना कार्य और सत्रांत परीक्षाओं संबंधी निर्देश। (देखे और डाऊनलोड करें)
5. प्रश्न बैंक (देखे और डाऊनलोड करें)
6. परीक्षा सारणी (दर्शाया जाएगा)
7. संत्रांत एवं पूरक परीक्षा के हॉलटिकट (डाऊनलोड करें)
8. परिणाम, यू सी और एस ओ ई के प्रारुप (देखे और डाऊनलोड करें)
9. अंक तालिका और परिणाम (देखे और डाऊनलोड करें)
10. फीडबैक (ऑनलाईन प्रस्तुत करें)

अधिक जानकारी के लिए, पीजीडीएईएम प्रकोष्ठ से निम्नलिखित के माध्यम से संपर्क करें:

टेलीफोन: 040-24594597
मोबाइल : 9490797922
ईमेल : directoraem@manage.gov.in

पता:
उपनिदेशक एवं प्रधान समन्वयक (पीजीडीएईएम)
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
राजेन्द्रनगर हैदराबाद – 500 030
वेबसाईट : www.manage.gov.in

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 15-03-2024

कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)
आवेदन पत्र - सत्रहवाँ बैच (2023-24)

केवलकार्यालयउपयोगहेतु क्र.सं. : केन्द्रकानाम : राज्य :

एकहस्ताक्षरितफोटोचिपकाए, औरअलगसेएकसंलग्न करें

<u>कृप्या अपने स्वयं के हस्ताक्षर में बड़े अंक्षरों में आवेदन भरें</u>

1. नाम बड़े अक्षरों में डॉ /श्री /श्रीमती

2. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) दिनांक ☐ माह ☐ वर्ष ☐

3. 1-1-2023 को आयु ☐

4. लिंग पुरुष ☐ स्त्री ☐

5. क्या आप अ.जा. / अ.ज.जा./ अ.पि.व़. /शारीरिक विकलांग हैं ?
अ.जा ☐ अ.ज़.जा ☐ अ.पि.व़. ☐ शा.वि. ☐ अन्य ☐

6. सरकारी कर्मी ☐ गैर-सरकारी ☐ निजी संगठन ☐ अन्य ☐

7. विभाग/संस्थान/एनजीओं/कृषि व्यापार कंपनी/सहकारी संस्था/किसान संगठन/अन्य का नाम, डाक पता के साथ।

आवेदक का वर्तमान पद														
कार्यालय/विभाग/संस्थान का नाम														
वार्ड/सर्कल और स्थान														
तालुका/पोस्ट आफिस														
जिला														
राज्य														
पिन कोड (आनिवार्य)														

8. आवेदक का स्थाई पता

वार्ड/सर्कल और स्थान														
तालुका/पोस्ट आफिस														
जिला														
राज्य														
पिन कोड (आनिवार्य)														

कार्यालय दूरभाष सं.: एसटीडी कोड के साथ			
मोबाईल नं. :		मोबाईल नं. *:	
ई-मेल:			

***अनिवार्य**

9. शैक्षणिक योग्यताएं (साक्ष्यांकित प्रतियां संलग्न करें)

सं.	परीक्षा, स्नातक से प्रारंभ करें	उत्तीर्णता का वर्ष	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	श्रेणी/डिवीजन
	डिग्री (स्नातक)* (......................)				
	स्नातकोत्तर** (......................)				
	पीएचडी (......................)				

टिप्पणीः *बीएससी (कृषि), बी़ वी़ एस सी़, मात्सकी .... अन्य
**एमएससी (कृषि), एम.वी़.एस.सी़, एम़. मत्सकी ....

10. अनुभव (वर्षो में):

11. किस भाषा में आप अध्ययन सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं: अंग्रेजी ☐ हिन्दी ☐

12.
अ) वचन
मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत की गयी सभी सूचना मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है। मैं पाठ्यक्रम के निर्बाध संचालन हेतु मैनेज द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम व आचरण संहिता के प्रति बाध्य रहने के लिए सहमत हूँ ।

आ) केवल सरकारी कर्मियों से वचन
मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि मैं यह दो वर्षो के भीतर पीजीडीएईएम को पूरा करूंगा। अन्यथा मैं मेरे नियंत्रक प्राधिकारियों को एतद्वारा अधिकृत करता हूँ कि मेरे वेतन से रु़ 15,000/- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क वसूल करें ।

प्रत्याशी का हस्ताक्षर,
दिनांक के साथ

13. प्रेषण प्राधिकारी: **(अनिवार्य)**

क) उच्च नियंत्रक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
डाक का पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ख) परियोजना निदेशक (एटीएमए) के हस्ताक्षर
डाक का पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ग) निदेशक समेती/एसएनओ के हस्ताक्षर
कार्यालयीन मुहर एवं डाक का पता (पिन कोड नं.)
ई-मेल तथा कार्यालय फोन नं.

आवेदन भेजने का पता:

उपनिदेशक एवं प्रधान समन्वयक - पीजीडीएईएम
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030.
ई-मेल: directoraem@manage.gov.in

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE)
(An Autonomous Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India)
Rajendranagar, Hyderabad 500 030, Telangana, India
www.manage.gov.in